

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)



क्रमांक / डीसीडीसी / 2020 / 2765


20 फरवरी 2020

:: अधिसूचना ::

1. माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 12458/2017 पर दिनांक 06 सितम्बर 2019 को पारित आदेश के परिपालन में उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल के आदेश क्रमांक 59/41-न्याया./आउशि/सम्बद्धता/19 दिनांक 17 जनवरी 2020 के द्वारा विश्वविद्यालय से अस्थायी संबद्धता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2019-20 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से मेरिट के आधार पर काउंसिलिंग द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रवेश राज्य शासन द्वारा मान्य कर संबंधित विद्यार्थियों की विश्वविद्यालयीन परीक्षा का आयोजन नियमानुसार सुनिश्चित कराने हेतु आदेशित किया गया है।

2. अतः माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित निर्णय के परिपालन में उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन के उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक डीसीडीसी/2019/2650 दिनांक 20 अगस्त 2019 को निरस्त करते हुए विश्वविद्यालय से बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित अस्थायी संबद्धता प्राप्त 21 अशासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2019-20 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम में किये गये प्रवेशित 2,030 विद्यार्थियों के प्रवेश मान्य कर तथा संबंधितों को विद्यार्थियों की परीक्षा का आयोजन नियमानुसार सुनिश्चित करवाने हेतु निर्देशित किया जाता है।


आदेशानुसार,


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. अपर आयुक्त (प्रशासन), उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुडा भवन, भोपाल (म.प्र.)
2. संचालक, अकादमिक गतिविधियों, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर
3. संचालक, महाविद्यालयीन विकास परिषद, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर
4. अधिष्ठाता, छात्र गतिविधियों, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर
5. परीक्षा नियंत्रक, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर
6. प्राचार्य, समस्त अस्थायी संबद्ध अशासकीय महाविद्यालय, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एम.पी. ऑनलाइन, भोपाल
8. विधि अधिकारी, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर
9. प्रोफेसर इंचार्ज, आई.टी.सेल-को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
10. कुलपति के सचिव-को कुलपति महोदय के सूचनार्थ
11. कुलसचिव के निजी सहायक

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


20/2/2020
कुलसचिव